

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011—फाल्गुन 6, शक 1932

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. एफ-2-9-2008-चौवन-2.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया जाकर 13 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था एवं वक्फ अधिनियम की धारा 14(1) ख (II) के तहत राज्य विधान सभा के मुस्लिम सदस्य की हैसियत से श्री हमीद काजी, विधायक, बुरहानपुर को सदस्य नियुक्त किया गया था. मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्य न रहने के फलस्वरूप वे मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य रहने के लिये अनर्ह हो गए हैं. अतएव, एतद्द्वारा, राज्य सरकार श्री हमीद काजी, पूर्व विधायक, बुरहानपुर की मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता समाप्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.